दिल्ली विधान सभा

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों

सम्बन्धी समिति

नौवाँ प्रतिवेदन

(23 जुलाई, 1996 को प्रस्तुत)

DELHI VIDHAN SABHA

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

NINTH REPORT

(PRESENTED ON 23 JULY, 1996)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय, दिल्ली ।

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT, DELHI

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

नौवां प्रतिवेदन

(दिनांक 23 जुलाई, 96 को प्रस्तुत)

समिति का गठन

1.	श्री चरती लाल गोयल, माननीय अध्यक्ष	सभापति
2.	श्री आलोक कुमार	सदस्य
3.	श्री दर्शन कुमार बहल	सदस्य
4.	श्री राम पाल करहाना	सदस्य
5.	श्री जग प्रवेश चन्द्र	सदस्य
6.	डॉ0 ए0के0 वालिया	सदस्य
7.	श्री सूरज प्रसाद पालीवाल	सदस्य

सचिवालय

1.	श्री पी0एन0 गुप्ता	सचिव
2.	श्री एस0के0 शर्मा	संयुक्त सचिव
3.	श्री एस0के0 श्रीवास्तव	समिति अधिकारी

समिति को सूचित किया गया कि निम्नलिखित दो गैर सरकारी विधेयकों को 29-12-1995 (आठवें सत्र) में पहले ही पुरःस्थापित किया जा चुका है :

1. भारतीय तलाक (संशोधन) विधेयक, 1995.
2. दिल्ली कृषि पशु संरक्षण (प्रथम संशोधन) विधेयक, 1995.

जहाँ तक विधेयक संख्या-1 का संबंध है, सचिवालय ने समिति को सूचित किया कि इस विधेयक को विधान सभा में नहीं लिया जा सकता है क्योंकि इस विधेयक को माननीय उप राज्यपाल ने दिल्ली रा0रा0 क्षेत्र शासन कार्य निष्पादन नियमावली, 1993 के नियम 55 (1) (क) और 55 (2) (च) के अंतर्गत केन्द्र सरकार को भेजने के बारे में संसूचित किया है।

तथापि, समिति सचिवालय द्वारा उल्लिखित कारणों से सहमत नहीं हुई । सचिवालय के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों तथा शासन एवं उप-राज्यपाल द्वारा इस मामले में अपनाए गए रवैये को एक तरफ रखते हुए सदस्यों ने विधेयक पर आगे चर्चा करने के अपने अधिकार पर बल दिया । समिति ने राय जाहिर की कि विधान सभा एक सार्वभौम निकाय होने तथा स्वयं अपनी कार्य प्रक्रिया के नियमों से संचालित होने के कारण किसी विशेष विधान पर चर्चा करने का अधिकार रखती है और इस अधिकार को, कार्य निष्पादन नियमों के हवाले से, जो केवल कार्य पालिका पर लागू होता है न कि विधान सभा पर, छीना नहीं जा सकता । तथापि, सचिवालय ने असफलतापूर्वक इस बात से समिति को सहमत कराने की कोशिश की कि उचित यही होगा कि उपराज्यपाल महोदय के अनुमोदन सहित शासन में जो सलाह आती है विधान सभा को उसे मानना चाहिए ।

किन्तु, श्री जग प्रवेश चन्द्र और श्री आलोक कुमार ने विशेष रूप से यह मत व्यक्त किया कि सदन और अध्यक्ष के सर्वोच्च होने के कारण यह प्रतिनिधि निकाय विधान पर विचार करने और उसे पारित करने तथा उसे उपराज्यपाल को स्वीकृति के लिए भेजने में सक्षम है । उपराज्यपाल, तथापि कार्य निष्पादन नियमों पर आधारित आपत्तियों सहित यदि कोई अन्य आपत्ति हो, तो उपराज्यपाल अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं ।

अतः समिति ने विधेयक को शुक्रवार 2 अगस्त, 1996 को चर्चा के लिए कार्य सूची में दर्ज करने का निर्णय लिया ।

जहाँ तक विधेयक संख्या-2 अर्थात "दिल्ली कृषि पशु संरक्षण (प्रथम संशोधन) विधेयक, 1995" का संबंध है, श्री आलोक कुमार (विधेयक के प्रभारी सदस्य) ने सूचित किया कि चूंकि वह इस विधेयक को प्रस्तुत नहीं करना चाहेंगे । इसलिए इसे लंबित रखा जाये ।

जहाँ तक पंजाबी को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने से सम्बन्धित/ विधेयक, 1995 का प्रश्न है श्री जग प्रवेश चन्द्र (विधेयक के प्रभारी सदस्य) ने इस बात पर रोष व्यक्त किया कि उन्हें महज इस आधार पर विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान नहीं की जा रही है कि उनके विधेयक पर अभी तक उपराज्यपाल की सिफारिश मिलनी प्रतीक्षित है । उन्होंने कहा कि

सचिवालय का यह कार्य लोक सभा और अन्य विधान मंडलों में स्थापित परम्पराओं के अनुरूप नहीं है क्योंकि वहां कम से कम पुरःस्थापन की अवस्था तक तो विधेयक को रोका ही नहीं जाता । सचिवालय ने स्पष्ट रूप से अपना पक्ष रखते हुए कहा कि चूंकि इस विषय पर एक सरकारी विधेयक "दिल्ली राजभाषा विधेयक" पहले ही प्रवर समिति को सौंपा जा चुका है । इसलिए श्री जग प्रवेश चन्द्र के विधेयक को भी, जिसे अभी भी पुरःस्थापित किया जाना है, प्रवर समिति को उसमें विचारार्थ सौंपा जा सकता है । तथापि, श्री जग प्रवेश चन्द्र ने गैर सरकारी सदस्य होने के नाते विधेयक को पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अपने अधिकार पर ज़ोर दिया । हालांकि, वह इस बात से सहमत थे कि विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव RORORORO क्षेत्र दिल्ली अधिनियम की धारा 22(3) के उपबंधों के अंतर्गत प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, न ही वह प्रस्तुत किया जाएगा ।

समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यदि श्री जग प्रवेश चन्द्र को अपना विधेयक, विशेषकर के जिसे RORORORO क्षेत्र दिल्ली अधिनियम की धारा 22 (3) को मद्दे-नज़र रखते हुए पारित करने के लिए नहीं लिया जा सकता है, पुरःस्थापित करने की अनुमति यदि दे दी जाती है तो कोई हानि नहीं होगी ।

समिति ने निम्नलिखित गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों को उनके सामने दर्शाये गए समय और तिथि के अनुसार कार्य सूची में दर्ज करने का निर्णय लिया :-

क्रम सं0	विधेयक का नाम	तिथि (विचार करने के लिए)	समय
1.	भारतीय तलाक (संशोधन) विधेयक, 1996	2 अगस्त, 1996	1 घंटा
2.	पंजाबी को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने से संबंधित विधेयक, 1995	2 अगस्त, 1996	30 मिनट

समिति ने शेष विधेयकों को, जिन्हें पुरःस्थापित करना और जिन पर विचार करना प्रतीक्षित है, न लेने का या उन्हें समय न आबंटित करने का निर्णय लिया :-

1. दिल्ली कृषि पशु संरक्षण (प्रथम संशोधन) विधेयक, 1995.
2. बालिका (अनिवार्य शिक्षा, पालन पोषण एवं कल्याण) विधेयक, 1994 (पुरःस्थापित हो चुका है ; उपराज्यपाल की सिफारिशें अपेक्षित हैं ।) ।
3. बालाश्रम (समाप्ति, कल्याण व पुनर्वास) विधेयक, 1994 (शासन ने माननीय उपराज्यपाल के इस निर्णय से सूचित किया है कि "शॉप्स एण्ड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, 1954" और "फैक्ट्री एक्ट, 1948" में व्यापक प्रावधान पहले ही किए जा चुके हैं । बेहतर यही होगा कि किसी तरह का कोई भी परिवर्तन यदि करना हो तो उसे अखिल भारतीय विधान पर छोड़ दिया जाए । इसके अंतर्राष्ट्रीय दुष्परिणाम होंगे ।
4. दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1994 (उपराज्यपाल की सिफारिशें प्रतीक्षित हैं ।)

गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प

समिति को सूचित किया गया कि डॉ0 ए0के0 वालिया द्वारा एक संकल्प जो पिछले सत्र में प्रस्तुत किया गया था किन्तु उसके ऊपर समयाभाव के कारण विचार और मतदान नहीं हो सका था । उसे शुक्रवार, 26 जुलाई, 1996 को गैर सरकारी सदस्यों के कार्य का दिन होने के कारण कार्य सूची में दर्ज किया जाना है ; उपर्युक्त के अतिरिक्त, समिति को सूचित किया गया कि कुछ और गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प, जिन्हें बैलेटिंग में स्थान प्राप्त हुआ है, को लिया जाएगा । समिति ने निम्नलिखित प्रत्येक संकल्पों के सामने दर्शाए गए के अनुसार समय का आबंटन किया :-

सदस्य का नाम	संकल्प का विषय	दिनांक	आवंटित समय
डॉ0 ए0के0 वालिया	यह सदन संकल्प करता है कि पूर्वी दिल्ली को, जिसकी आबादी दिल्ली की कुल आबादी का 1/3 है, कुल जल आपूर्ति का 1/3 भाग दिया जाए ।	26-7-96	30 मिनट

श्री शीश पाल	यह सदन सिफारिश करता है कि दिल्ली के शहरीकृत एवं देहाती गाँवों के मकानों पर लगने वाले संपत्ति कर को तुरंत समाप्त किया जाए ।	26-7-96	30 मिनट
श्री गौरी शंकर भारद्वाज	यह सदन संकल्प करता है कि दिल्ली के विद्यालयों में प्रथम कक्षा से द्वादश कक्षा तक (। से 12) कक्षाओं के लिए निर्धारित विभिन्न विषयों की पाठ्य-पुस्तकों से वैदिक वाङ्मय भारतीय संस्कृति, इतिहास, कला व साहित्य, राजनीति विज्ञान, समाज शास्त्र एवं दर्शन शास्त्र के संबंध में प्रकाशित सभी भ्रांत धारणाओं एवं पाश्चात्य विचारकों द्वारा प्रस्तुत सभी मान्यताओं वाले अंशों को निकाल दिया जाए तथा उनके स्थान पर ऐतिहासिक गवेषणाओं व पुरातत्व साक्ष्यों से प्रमाणित तथ्यपरक सिद्धांतों वाले अंशों का समावेश किया जाए ताकि छात्रों को भारतीयता की स्पष्ट सत्य पहचान का ज्ञान कराया जा सके । पाठ्य-पुस्तकों में उक्त संशोधन हेतु शिक्षा शास्त्रियों, इतिहास विदों एवं विद्वान शिक्षकों की एक समिति गठित की जाए जो राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद (एन0सी0ई0आर0टी0) तथा दिल्ली पाठ्य-पुस्तक ब्यूरो को पाठ्यक्रम	26-7-96	30 मिनट

	का संशोधित प्रारूप स्वीकृति हेतु भेजें ।		
श्री नन्द किशोर गर्ग	दिल्ली की सुन्दरता एवं वैभव को बनाए रखने के लिए यह सदन संकल्प करता है कि विरूपण अधिनियम (डिफेसमेंट एक्ट) जैसा कि कुछ राज्यों में तथा विशेषकर पश्चिमी बंगाल में लागू है, को दिल्ली में भी लागू किया जाये ।	26-7-96	30 मिनट

श्री आलोक कुमार ने समिति को सूचित किया कि उन्होंने श्री नन्द किशोर गर्ग से बात कर ली है तथा श्री गर्ग इस बात पर सहमत हो गए हैं कि वे अपने संकल्प को इसलिए प्रस्तुत नहीं करेंगे क्योंकि संकल्प में उल्लिखित विरूपण अधिनियम (डिफेसमेंट एक्ट) दिल्ली में पहले ही लागू किया जा चुका है ।

श्री दर्शन कुमार बहल	दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा दिल्ली की जनता को नियमित रूप से बिजली देने में पूर्णतया असफल रहने के कारण जनता में अत्यंत असंतोष एवं निराशा से उत्पन्न स्थिति और दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान का अपना ढाँचा इन हालात को ठीक करने में असफल होने के कारण यह सदन संकल्प करता है कि बिजली वितरण का निजीकरण किया जाये ।	26-7-96	30 मिनट

समिति ने श्री जग प्रवेश चन्द्र और उनकी अनुपस्थिति में श्री आलोक कुमार को समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया ।

(चरती लाल गोयल)
सभापति,
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों
तथा संकल्पों संबंधी समिति ।

DELHI VIDHAN SABHA SACHIVALAYA

Committee on Private Member's Bills and Resolutions.

NINTH REPORT

(Presented on 23 July 96)

Constitution of Committee

1.	Shri Charti Lal Goel, Hon. Speaker	Chairman
2.	Shri Alok Kumar	Member
3.	Shri Darshan Kumar Behl	Member
4.	Shri Ram Pal Karhana	Member
5.	Shri Jag Parvesh Chandra	Member
6.	Dr. A.K. Walia	Member
7.	Shri Suraj Prasad Paliwal	Member

Secretariat

1.	Shri P.N. Gupta	Secretary
2.	Shri S.K. Sharma	Joint Secretary
3.	Shri S.K. Srivastava	Committee Officer

The meeting of the Committee was held on 17 July, 1996 in the Chamber of Hon'ble Speaker.

Private Member Bills

The Committee was informed that the following two Private Member's Bills have already been introduced on 29.12.1995 (Eighth Sesseion) :-

1. The Indian Divorce (Amendment) Bill, 1995.
2. The Delhi Agricultural Cattle Preservation (First Amendment) Bill, 1995.

As regards Bill No. 1, the Secretariat informed the Committee that the same cannot be taken up further in the Legislative Assembly since Hon'ble Lt. Governor has already conveyed that the Bill be referred to the Central Government Under Rule 55 (1) (a) and 55 (2) (g) of the Transaction of Business of the Government of National Capital Territory of Delhi Rules, 1993.

The Committee however, was not convinced with the reasonings advanced by the Secretariat. Brushing aside the arguments of the officers of the Secretariat and the stand taken by the Government/L.G., the members asserted their right to discuss the Bill further. The

Committee expressed the view that the Legislative Assembly being a sovereign body and guided by rules of procedures of its own, its power to discuss a particular legislation can not be circumscribed by quoting the Transaction of Business Rules which are meant Primarily for the executive and not for the Legislative Assembly. The Secretariat, however, tried unsuccessfully to argue that the Assembly should, to be proper, go by the advice tendered by the Government with the approval of L.G.

Shri Jag Parvesh Chandra and Shri Alok Kumar in particular were of the view that the House and the Speaker being the supreme, the representative body was competent to consider and pass this legislation and send it for L.G.'s assent. The L. G. may, however, withhold his assent, in case, he has any reservations including those based on the Transaction of Business Rules.

The Committee, therefore, decided that the Bill be listed for consideration on Friday, the 2nd August, 1996.

As regards Bill No. 2 viz. the Delhi Agricultural Cattle Preservation (First Amendment) Bill, 1995. Shri Alok Kumar, (member-incharge of the Bill), informed that he would not like to move the Bill for consideration and, as such, it may be kept pending.

As regard The Delhi Adoption of Punjabi as the Second Official Language Bill, 1995, Shri Jag Parvesh Chandra, member in-charge of this Bill, took exception that he is not being allowed even to introduce the Bill on the ground that L.G.'s recommendations for introduction thereof are still awaited. He said that this action of the Secretariat is not in consonance with the established practice in Lok Sabha and other Legislatures where bills are not blocked at introduction stage at least. The Secretariat took the stand that since Government Bill on the subject viz. The Delhi Official Language Bill already stands referred to the Select Committee, Shri Jag Parvesh Chandra's bill, which is yet to be introduced, may also be referred to the Committee for its consideration. Shri Jag Parvesh Chandra, however, asserted his right as a Private Member to introduce the Bill and also to move the motion for its consideration. He, however, agreed that the motion to pass the Bill can-not and would not be moved, in view of provisions of Section 22(3) of the N.C.T. Act.

The Committee came to the conclusion that there was no harm if Shri Jag Parvesh Chandra is permitted to introduce his Bill particularly when the same cannot be taken up for passing in view of Section 22(3) of the N.C.T. Act.

The Committee decided that the following Private members Bills be listed and allotted time as shown against each :

Sl. No.	Name of the Bills	Date (for consideration)	Time
1.	The Indian Divorce (Amendment) Bill, 1995	2nd August, 1996 (To be considered)	1 Hour
2.	The Delhi Adoption of Punjabi as Second Official Language Bill, 1995.	2nd August, 1996 (To be introduced)	30 Mts.

The Committee decided not to take up or allot time for the remaining bills awaiting introduction/consideration:

1. The Delhi Agricultural Cattle Preservation (Ist Amendment) Bill, 1995.
2. The Girl Child (Compulsory Education, Upbringing & Welfare) Bill, 1994. (already introduced ; L.G.'s rec-ommendations awaited)
3. The Child Labour (Abolition, Welfare and Rehabilitation) Bill, 1994. (The Govt. has intimated the decision of Hon'ble L.G. that comprehensive provisions stand already made in Delhi Shops and Establishment Act 1954 and Factory Act, 1948. "Any changes at best be left to All India Legislation. There are now international repercussions."
4. The Delhi Municipal Corporation (Amendment) Bill, 1996. (L.G.'s re-commendations awaited)

Private Members' Resolutions

The Committee was informed that one Resolution which was introduced in the previous session (IXth Session) by Dr. A. K. Walia but could not be considered and voted due to paucity of time, has to be listed for Friday 26th July, 1996 being private member day.
In addition to tha above, the -

Committee was also informed that some more Private Member resolutions which have found place in the ballotting, may be taken up. The Committee allocated time as shown against each of the resolutions :

Name of the Member	Text of Resolution	Date	Time Allotted
Dr. A.K. Walia	This House resolves that East Delhi having 1/3rd population of Delhi be given 1/3rd of Delhi's total water supply.	26.7.96	30 mts.
Ch. Shish Pal	This House recommends that the House tax on urbanised and rural villages of Delhi be abolished forthwith.	26.7.96	30 mts.
Sh. Gauri Shankar Bhardwaj	This House resolves that all portions having illusory concepts and views about Vedic Literature, Indian Culture, Political Science, Sociology and Philosophy based on Western ideology be deleted from the	26.7.96	30 mts.

Name of Member	Text of Resolution	Date	Time Allotted
	Text Books prescribed for Primary to Senior Secondary level (from Class I to XII) in Delhi Schools, and the same be substituted by relevant facts/portions as have been established by historical researches and archaeological evidences so as to make the students aware of the real Indian vision and facts. With a view to carry out the above curriculum amendments, a Committee of Educational Experts including Historians and eminent Academicians be constituted who shall submit recommendations to NCERT and Text Book Bureau regarding revised syllabus for approval.		
Sh. Nand Kishore Garg	To preserve the beauty and aesthetics of Delhi, this House resolves that the provisions of the Defacement Act as are applicable in some states including the state of West Bengal be extended to Delhi.		(Sh. Alok Kumar informed the Committee that he had a talk with Sh. Nand Kishore Garg and he has agreed not to mov the resolution since the Defacement Act as menti oned in the resolution already stands extended t Delhi.)

Name of Member	Text of Resolution	Date	Time Allotted
Sh. Darshan Kumar Behl	In view of utter failure of DESU in providing uninterrupted supply of electricity to the residents of Delhi, which has resulted in extreme dissatisfaction and frustration among the citizens, and the present structure of DESU being unable to rectify the situation, this House resolves that the distribution of electricity in Delhi be privatised forthwith.	26.7.96	30 mts.

The Committee authorised Shri Jag Parvesh Chandra and in his absence, Shri Alok Kumar to present the Report.

(CHARTI LAL GOEL)
CHAIRMAN,
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS'
BILLS & RESOLUTIONS.